

प्रेषक,

आशीष तिवारी

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/

नोडल अधिकारी

उ० प्र०, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक, 12.12.2022

विषय- विन्ध्य टेली लिन्क्स लि० द्वारा जनपद-फतेहपुर में खागा-विजैपुर-नरैनी-सन्तो-औराई-रामपुर मार्ग किमी 0.00 से किमी 27.50 तक एवं खागा-नौबस्ता-हुसैनगंज-फतेहपुर मार्ग किमी 0.00 से किमी 59.00 तक कुल लम्बाई 86.50 किमी० कुल 0.8961 हे० संरक्षित वनभूमि में बिबना वृक्ष पातन के ओ०एफ०सी० बिछाये जाने के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं० एफपी/यू०पी०/ओ०एफ०सी०/34588/2018)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या-2429/11-सी/-एफपी/यू०पी०/ओ०एफ०सी०/34588/2018, दिनांक 22-03-2021, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा-निर्देश संख्या-11-09/98-एफसी, दिनांक 07-11-2014 तथा 11-9/98-एफसी, दिनांक 07-9-2015 में विहित व्यवस्थानुसार विन्ध्य टेली लिन्क्स लि० द्वारा जनपद-फतेहपुर में खागा-विजैपुर-नरैनी-सन्तो-औराई-रामपुर मार्ग किमी 0.00 से किमी 27.50 तक एवं खागा-नौबस्ता-हुसैनगंज-फतेहपुर मार्ग किमी 0.00 से किमी 59.00 तक कुल लम्बाई 86.50 किमी० कुल 0.8961 हे० संरक्षित वनभूमि में बिबना वृक्ष पातन के ओ०एफ०सी० बिछाये जाने की अनुमति विषयक दिनांक 23.12.2020 द्वारा प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या के आधार पर निम्न शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन विधिवत स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (1) सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
- (2) ओ०एफ०सी० केबिल/टेलीफोन लाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे -किनारे ही बिछाये जायेंगे।
- (3) ओ०एफ०सी० केबिल/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी ट्रेंच की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक न होगी।
- (4) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
- (5) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- (6) वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।

- (7) प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
- (8) भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।
- (9) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी⁰ तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।
- (10) प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- (11) प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।
- (12) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।
- (13) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में समिलित है तो मा⁰ उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।
- (14) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (15) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।
- (16) वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।
- (17) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा⁰ न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

3- प्रश्नगत विधिवत स्वीकृति आदेश मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)

सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1)- उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
- (2)- वन संरक्षक, प्रयागराज।
- (3)- जिलाधिकारी, फतेहपुर।
- (4)- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग फतेहपुर।
- (5)- एरिया मैनेजर, विन्ध्य टेलीलैक्स लि०, कानपुर क्लस्टर, कानपुर।
- (6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर०पी० सिंह)

अनु सचिव।